

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
30 प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2021

**विषय:- सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित की गयी सौर पावर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को यूपीपीसीएल द्वारा क्रय करने के लिये प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-718/नेडा- एसई-जीबीआई/01/298/2017, दिनांक 22 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौर ऊर्जा नीति-2013 के अन्तर्गत 450 मेगावाट क्षमता की निम्न 27 परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत पावर क्रय करने हेतु टैरिफ एवं पावर क्रय करने हेतु की गयी अद्यतन केस-1 बिडिंग में प्राप्त वेटेड एवरेज लेब्लाइज्ड टैरिफ के अन्तर की वास्तविक धनराशि जनरेशन बेस्ड इन्सेन्टिव अनुदान के रूप में यूपीपीसीएल को उपलब्ध कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत नान कन्वेन्शनल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 21229.00 लाख (रूपये दो अरब बारह करोड़ उनतीस लाख मात्र) में से धनराशि रू0 1005203000.00 (रूपये एक अरब बावन लाख तीन हजार मात्र) स्वीकृत कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	फर्म का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अंतरित की जाने वाली प्रोत्साहन की कुल धनराशि (रूपये में)
1	जैकशन पावर प्रा. लि. नोयडा	10	30776508.00
2	मैसर्स समविष्ट इनर्जी सोल्यशन्स प्रा. लि., दिल्ली (मूल परियोजना विकासकर्ता डी. के. इन्फ्राकॉन लिमिटेड)	10	38962728.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	मैसर्स रिफेक्स इनर्जी (राज.) प्रा. लि., नोयडा	10	38134908.00
4	मैसर्स एज्योर सूर्या प्राईवेट लि., नई दिल्ली	10	35835408.00
5	मैसर्स एस्सल ऊर्जा प्रा. लि.(मूल परियोजना विकासकर्ता एस्सल इन्फ्राप्रोजेक्टस लि)	50	192054240.00
6	मैसर्स स्पाईनल इनर्जी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (मूल मोजर बेयर इनर्जी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)	20	44996616.00
7	मैसर्स ग्रीन ऊर्जा प्राईवेट लिमिटेड ( मूल परियोजना विकासकर्ता जैकशन इंजीनियर्स लि. नोयडा)	30	
8	मैसर्स के. एम.इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड (मूल परियोजना विकासकर्ता के. एम. कन्सोर्सियम, लखनऊ)	5	19113444.00
9	मैसर्स निरोशा पावर प्राईवेट लिमिटेड(मूल एकमे सोलर इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव)	30	105850584.00
10	मैसर्स सन सण्ड विण्ड इन्फ्रा इनर्जी प्रा. लिमिटेड (मूल जटाधारी मर्चेटडाईज प्रा. लि., उत्तराखण्ड)	10	38410848.00
11	मैसर्स यूनिवर्सल सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड (मूल सुखबीर एगो इनर्जी लि. नई दिल्ली)	30	107506224.00
12	मैसर्स टी.एन. ऊर्जा प्रा. लि.,मुम्बई (मूल एस्सल इन्फ्रा प्रोजेक्टस लि0 मुम्बई)	50	88576740.00
13	सुखबीर एगो इनर्जी लिमिटेड	20	35430696.00
14	सुखबीर एगो इनर्जी लिमिटेड	10	17715348.00
15	सुखबीर एगो इनर्जी लिमिटेड	20	35430696.00
16	मैसर्स आर्यावान रिन्यूएबल इनर्जी प्रा0 लिमिटेड, सिकन्दराबाद (मूल सुराना टेलिकाम एण्ड पावर लि0)	5	8857674.00
17	मैसर्स लोहिया डेवपलर्स इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली	5	8857674.00
18	मैसर्स अग्रवाल सोलर पावर (यूपी) प्रा. लिमिटेड, गोवा (मूल फेरोमार शिपिंग प्रा. लि.)	5	8857674.00
19	मैसर्स सलासर ग्रीन इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, बरेली (मूल एन.पी. एगो इण्डिया इण्ड0 लि.)	5	8857674.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

20	श्री पीएसपीएन सिनर्जी प्रा0 लि0, कानपुर (मूल श्री राधे-राधे इस्पात प्रा. लि.)	15	26573022.00
21	मैसर्स सहस्त्रधारा इनर्जी प्रा0 लि0, चेन्नई	5	0.00
22	मैसर्स टी0ए0 ग्रीनटेक प्रा0 लि0, लखनऊ	10	0.00
23	मैसर्स पिनेक्ल इनर्जी प्रा0 लि0, नई दिल्ली	5	0.00
24	मैसर्स अडाणी ग्रीन इनर्जी प्रा0 लि0, अहमदाबाद	50	0.00
	कुल योग	350	1005203430.00

- 1- स्वीकृत धनराशि नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए व्यय की जायेंगी।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
- 3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।
- 4- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 5- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से विलम्बतम दिनांक 31.03.2022 तक कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 6- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 7- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा निर्गत निर्देशों तथा समय≤ पर जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखा शीर्षक-“2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03-विज्ञान एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0301-नान कन्वेन्शनल एनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-27-सब्सिडी” के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार  
उप सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (4) राज्य योजना आयोग-1
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., प्रयागराज।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह  
अनु सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।